राज्य सूचना आयोग
बिहार, पटना

के0 संख्या– 41 / 06–07

विषयः– श्री जयराम सिंह, अधिवक्ता, बहादुरपुर, राजेन्द्र नगर, पटना का प्राप्त आवेदन–पत्र ।

04.12.2006 जिला पदाधिकारी, से कंडिकावार प्रतिवेदन की पुनः मांग की जाय तथा निर्धारित समय तक प्रतिवेदन नहीं के लिए कारण स्पष्ट करने के लिए भी कहा जाय। पुनः सुनवाई दिनांक 04.01.07 को पूर्वाह्न 11.00 बजे की जाय। आवेदक को भी तदनुसार सूचित किया जाय।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

04.01.2007 जिला पदाधिकारी से न तो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और न ही कोई उनके प्रतिनिधि आयोग के सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आवेदक उपस्थित थे। डॉ0 बी0 राजेन्दर, जिला पदाधिकारी, पटना को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 20(1) के तहत नोटिस जारी किया जाए कि आयोग के निदेश के बाद भी उनके द्वारा प्रतिवेदन क्यों नहीं भेजा गया। साथ ही साथ दिनांक 24.01.07 को प्रातः 10.30 बजे आयोग के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निदेश उन्हें दिया जाय।

(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

24.01.2007 वादी उपस्थित हैं। जिला पदाधिकारी, पटना को स्वयं आयोग के सम्मुख सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 (15) के तहत उपस्थित होना था लेकिन खुद उपस्थित नहीं हो सके। उनके विरूद्ध क्यों नहीं कार्रवाई की जाय कि क्यों नहीं वे आयोग के समक्ष स्वंय उपस्थित हुए और न ैवि ब्नेम दिया गया है। अपर समाहर्त्ता उपस्थित हैं और उन्होंने जिला पदाधिकारी द्वारा भेजे गए प़त्र की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। जिलाधिकारी, पटना का कहना है कि आयोग के पत्र के साथ आवेदक का पत्र संलग्न नहीं था। जिला पदाधिकारी का यह उत्तर संभवतः ैचपतपज वि ।बज के विपरीत है। चूँकि पटना उच्च न्यायालय में जिला पदाधिकारी, पटना की उपस्थिति थी इसलिए वे उपस्थित नहीं हो सके। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नोटिश जारी की जाए कि वे आयोग के सम्मुख दिनांक 29.01.2007 को 10.30 बजे पूर्वाह्न व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों। यह आदेश वादी और प्रतिवादी के सम्मुख पारित किया गया है, अतएव इसकी सूचना वादी। प्रतिवादी को अलग से देने की आवश्यकता नहीं पतीत होती है।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

29.01.2007 वादी श्री जयराम सिंह एवं जिला पदाधिकारी, पटना आयोग के सम्मुख उपस्थित हैं। जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा कारणपृच्छा दाखिल किया गया है। उनके द्वारा दी गयी

सफाई को आयोग स्वीकृत करता है एवं तदनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–20(1) के तहत आगे कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक वाद के मेरिट ;डमतपजद्ध का प्रश्न है, मांगी गयी सूचना का सम्बन्धत समाहर्त्ता से नहीं है। वादी का कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उन्हें बतलाया गया है कि आवास बोर्ड से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद प्रश्नगत जमीन को भू–अर्जन की कार्रवाई से मुक्त करने पर विचार किया जाएगा। वादी अगले सुनवाई की तिथि 26.02.07 को प्रातः 10.30 बजे पूरे मामले को सिलसिलेवार पढ़कर अपनी बात आयोग के समक्ष रखेगें। चूँकि आदेश के समय वादी उपस्थित थे, अतएव उन्हें अलग से सूचित करने की आवश्यकता नहीं है।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त